राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक प. 10(7)नविवि/3/2009पार्ट–II   जयपुर, दिनांक :- 4 OCT 2013

सचिव,
जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण,
जयपुर/जोधपुर/अजमेर।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
नगर निगम,
समस्त।

सचिव,
नगर विकास न्यास,
समस्त।

विषय :– राज्य के नगरीय क्षेत्रों में अग्निशमन सुविधा उपलब्ध कराने/सुदृढ़ीकरण की दृष्टि से शुल्क लिये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत नगरीय विकास विभाग के लिए गठित एम्पावर्ड समिति 11वीं बैठक दिनांक 01.10.2013 में लिये गये निर्णय की अनुपालना में नगरीय क्षेत्रों में अग्निशमन सुविधा उपलब्ध कराने/सुदृढ़ीकरण की दृष्टि से शुल्क लिये जाने के संबंध में नीति तैयार कर इसे भवन विनियमों में सम्मिलित किये जाने के आदेश संलग्न कर प्रेषित किये जा रहे है।

उक्त आदेश भवन मानचित्र अनुमोदन के उन सभी प्रकरणों पर लागू होंगे, जिनमें नगरीय निकाय द्वारा जारी मांगपत्र की राशि जमा नहीं करायी गई है।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

4/10/2013

(प्रकाश चन्द शर्मा)
संयुक्त शासन सचिव–तृतीय

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास विभाग।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग।
3. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
4. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर को उनके अधीन समस्त स्थानीय निकायों को उपरोक्तानुसार निर्देशित किये जाने हेतु।
5. आयुक्त, राजस्थान, आवासन मण्डल, जयपुर।
6. रक्षित पत्रावली।

4.10.2013

संयुक्त शासन सचिव–तृतीय

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास, अवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग

क्रमांक प.10(7)नविवि/3/2009पार्ट–II   जयपुर, दिनांक :– 4 OCT 2013

आदेश

नगरीय विकास विभाग के लिए गठित एम्पावर्ड समिति की 11वीं बैठक दिनांक 01.10.2013 के आईटम नं. 8 पर बहुमजिले भवनों में 60 मीटर से अधिक ऊंचाई अनुज्ञेय किये जाने के संबंध में नीति तैयार करने का निर्णय लिया गया था। उक्त निर्णय की अनुपालना में अधिकतम ऊंचाई के भवनो के भवन मानचित्र अनुमोदन किये जाने के लिए अग्निशमन की सुविधा उपलब्ध कराये जाने की दृष्टि से निम्नानुसार शुल्क लिये जाने का भवन विनियमों के अन्तर्गत प्रावधान किया जाता है :–

राज्य के नगरीय क्षेत्रों में अग्निशमन की सुविधा उपलब्ध कराने/सुदृढीकरण की दृष्टि से निम्नानुसार शुल्क देय होगा :–

क्र. सं.	प्रस्तावित भवन की ऊंचाई	देय शुल्क (एफ.ए.आर. क्षेत्रफल पर प्रति वर्गमीटर)
1.	15 मीटर से अधिक परन्तु 40 मीटर तक	100 रूपयें प्रति वर्गमीटर
2.	40 मीटर से अधिक परन्तु 60 मीटर तक	(क) 40 मीटर तक एफ.ए.आर. क्षेत्रफल पर 100 प्रति वर्गमीटर की दर से (ख) 40 मीटर से अधिक 60 मीटर तक ऊंचाई पर प्राप्त एफ.ए.आर. क्षेत्रफल पर 150 रूपयें प्रति वर्गमीटर
3.	60 मीटर से अधिक	(क) 40 मीटर तक एफ.ए.आर. क्षेत्रफल पर 100 प्रति वर्गमीटर की दर से (ख) 40 मीटर से अधिक 60 मीटर तक ऊंचाई पर प्राप्त एफ.ए.आर. क्षेत्रफल पर 150 रूपयें प्रति वर्गमीटर (ग) 60 मीटर से अधिक ऊंचाई पर प्राप्त एफ.ए.आर. क्षेत्रफल पर 200. रूपयें प्रति वर्गमीटर

टिप्पणी :–

(i) उक्त राशि भवन विनियमों के अन्तर्गत देय बैटरमेन्ट लेवी/अन्य शुल्कों के अतिरिक्त देय होगी।

(ii) **सभी नगरीय निकायों के स्तर पर उक्त राशि के लिए एक डेडिकेटेड़ फण्ड़ तैयार** किया जायेगा, जो कि सामान्य से अतिरिक्त अकाउन्ट में जमा रखा जावेंगा व इस राशि का व्यय संबंधित नगरीय निकाय के क्षेत्र में आवश्यकतानुसार अग्निशमन उपकरण/फायर टेन्डर आदि क्रय किये जाने तथा फायर एक्सपर्टस के माध्यम से **बहुमंजिले भवनों में लगाये गये अग्निशमन उपकरणों आदि के वार्षिक निरीक्षण/परीक्षण किये जाने के लिए किया जायेगा। इस संबंध में राज्य/स्थानीय** स्तर पर फायर एक्सपर्ट का पैनल तैयार कर बहुमंजिला भवनों में अग्निशमन **सुविधाओं संबंधी प्रावधानों की भवन मानचित्र अनुमोदन, भवनों की पूर्णता पश्चात्** अधिवास प्रमाण पत्र जारी किये जाने एवं समय-समय पर अग्निशमन सुविधाओं की जांच व Mock Drill में स्थानीय निकायों को तकनीकी सहयोग प्रदान करेंगे।

(iii) बहुमंजिला भवनों में अग्निशमन संबंधी नेशनल बिल्डिंग कोड के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित किये जाने की सम्पूर्ण जिम्मेदारी विकासकर्ता की होगी।

(iv) राशि के व्यय के संबंध में कार्य योजना तैयार करने हेतु संबंधित नगरीय निकाय स्तर पर निम्नानुसार समिति का गठन किया जाता है :-

क. प्राधिकरणों के लिए -

सचिव, संबंधित प्राधिकरण - अध्यक्ष
उप/वरिष्ठ नगर नियोजक बीपीसी - सदस्य
स्थानीय निकाय में अग्निशमन सेवा का वरिष्ठ अधिकारी - सदस्य
अध्यक्ष द्वारा नामांकित अधिशाषी अभियंता - सदस्य सचिव

ख. न्यासों के लिए -

सचिव, संबंधित न्यास - अध्यक्ष
उप/वरिष्ठ नगर नियोजक बीपीसी/अन्य प्राधिकृत अधिकारी - सदस्य
स्थानीय निकाय में अग्निशमन सेवा का वरिष्ठ अधिकारी - सदस्य
अध्यक्ष द्वारा नामांकित अधिशाषी अभियंता - सदस्य सचिव

ग. **अन्य नगर निगमों/परिषदो/पालिकाओं के लिए -**

मुख्य कार्यकारी अधिकारी/आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी संबंधित निकाय - अध्यक्ष
उप/वरिष्ठ नगर नियोजक बीपीसी/ अन्य प्राधिकृत अधिकारी - सदस्य
स्थानीय निकाय में अग्निशमन सेवा का वरिष्ठ अधिकारी - सदस्य
अध्यक्ष द्वारा नामांकित अधिशाषी अभियंता - सदस्य सचिव

(गुरदयाल सिंह संधु)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1 विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
2. संसदीय सचिन, नगरीय विकास एवं आवासन स्वायत्त शासन, जयपुर।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।

4. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर को उनके अधीन समस्त नगरीय निकायों को आवश्यक निर्देश उनके स्तर पर प्रदान किये जाने हेतु।
5. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
6. सचिव, जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण, जयपुर/जोधपुर/अजमेर।
7. सचिव, नगर विकास न्यास, अलवर/आबू जिला सिरोही/भरतपुर/भिवाडी/भीलवाडा/बीकानेर/बांसवाड़ा/बाड़मेर/चित्तोड़गढ़/जैसलमेर/कोटा/पाली/सीकर/श्रीगंगानगर/सवाईमाधोपुर/उदयपुर।
8. गार्ड फाईल।

संयुक्त शासन सचिव–तृतीय